TIJER || ISSN 2349-9249 || © May 2023 Volume 10, Issue 5 || www.tijer.org

महिला सशक्तिकरण: मुद्दे, चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ. शेषमणि मिश्रा** धर्मचन्द्र पाण्डेय*

सारांश-

प्रस्तुत शोध में "**महिला सशक्तिकरण: मुद्दे, चुनौतियाँ एवं समाधान**" के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया गया हैं। महिला सशक्तिकरण पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में व्यापक चर्चा और चिंतन का प्रकाशमान् मुद्दा हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने नई-नई नीतियां तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं। वास्तव में महिला सशक्तिकरण हेतु तैयार की गई नीतिया सराहनीय हैं, परन्तु यौन उत्पीड़न, चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, अनैतिक व्यापार, निम्न साक्षरता, बेरोजगारी, उच्च मातृ मृत्यु दर, गरीबी, लिंग-भेद, बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, महिला तस्करी तथा छेड़-छाड़ इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं, जिन्होंने समाज में विकराल रूप धारण कर रखा हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को जीवन में निर्णय लेने के लिए आत्मानिर्भर और सक्षम बनाता हैं, जो उन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता हैं। महिला सशक्तिकरण के सामने जो चुनौतियाँ व्याप्त हैं उनके समाधान हेतु सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यद्यपि इस दिशा में कई सार्थक प्रयास किये गए हैं किंतु पर्याप्त नही हैं, इसके लिए आवश्यक हैं कि सभी कानूनो को सख्ती के साथ लागू किया जाए व न्याय की गति तीव्र एवं प्रक्रिया पारदर्शी हो। माहिलाओ के समक्ष जो चुनौतिया हैं उससे निजात तभी पाई जा सकती हैं, जब लड़कियों के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह को समाप्त किया जाए और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाया जाए इसके लिए आवश्यक हैं कि संचार माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाये जाने चाहिए। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निजात पाने के लिए समग्रता का दृष्टिकोण अपनाना होगा, अर्थात् अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी हिंसा से निजात नही पाई जा सकती हैं ।

सूचक शब्द-

सशक्तिकरण, मुद्दे, चुनौतियाँ, समाधान

** प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
* शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

प्रस्तावना-

"औरतों की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं हैं।"

- **स्वामी विवेकानन्द**

महिला सशक्तीकरण की शुरूआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही शुरू हो चुकी थी, उस काल में नारी की अस्मिता पुरुष के समान थी तथा सम्मान एवं अधिकार की माँग सदी की बुनियादी मान्यताएं थी। भारत में महिला सशक्तीकरण का ऐतिहासिक आधार वैदिक साहित्यों में देखने को मिलता हैं। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता था। हालांकि मध्य-काल में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी और महिलाओं को समाज में केवल बच्चों का पालन-पोषण करने, परिवार के प्रत्येक सदस्य की देखभाल करने और अन्य घरेलू कार्यों जैसे कर्तव्यों का पालन करने वाला समझा जाता था। 19वीं सदी में भारतीय परिवेश में स्त्रीयो की प्रस्थितियो के प्रश्नों को प्रभावित किया? एक ओर पूर्व और पश्चिम के मध्य का अन्तराल कौतूहल और विवाद का विषय बना तो दूसरी ओर भारत की अन्दरूनी सांस्कृतिक संरचना एवं मूल्यों को लेकर भी प्रश्न उठाए गए।' 19वीं सदी में उपजे व्यापक धर्म एवं समाज सुधार आन्दोलन- ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन के अतिरिक्त अनेक स्थानीय सुधार संगठनों ने भारतीय समाज में पनप रही स्त्री-पुरुष विषमता को चुनौती दी एवं सुधारात्मक प्रयास किये। 20वीं सदी के प्रारम्भ से देश में महिला अधिकारों के लिए संगठित प्रयास प्रारम्भ हो गये थे। आज के समय में महिलाएं सभी बंधनों को तोड़ रही हैं । वर्तमान संदर्भ में भारत वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित करने के उपरान्त स्त्री-पुरुष समानता, नारी-अधिकारवाद, अस्मिता, नारी-पहचान आदि पर चिन्तन अपने बहुमुखी स्वरूप को प्राप्त कर रहा हैं। परिवार और समाज की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने विचार अधिकार, स्वतन्त्रता का निर्णय लेते हुए अपने आप को परिपक्व बनाना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य बन गया हैं। समाज के सभी क्षेत्रों में पुरुष व महिला को बराबरी पर लाना होगा। परिवार, समाज और देश के उज्जवल भविष्य के लिये महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी हैं। महिलाओं को स्वच्छ और उपर्युक्त वातावरण की जरूरत हैं, जिससे कि वह हर क्षेत्र में स्वयं का फैसला

ले सके और विकास की प्रथम पंक्ति पर स्वयम को रख सके । देश की कुल जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं हैं, और यदि देश को पूर्णतः शक्तिशाली बनाना हैं तो इसके लिये महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जीवन-निर्धारक निर्णय लेने के लिए सुसज्जित और सक्षम बनाता हैं और उन्हें लैंगिक भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर प्रदान करता हैं, जो बदले में उन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता हैं अर्थात्, निजी स्वतन्त्रता और स्वयं के निर्णय लेने के लिये महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण हैं।

सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण -

किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की सामाजिक- आर्थिक एवं राजनीतिक, शैक्षिक तथा लैंगिक, या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता हैं। किसी को शक्तिशाली बनाना, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना और अक्षमताओं, बाधाओं और असमानताओं को दूर करना ही सशक्तिकरण हैं। सशक्तिकरण एक सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया हैं, जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास कराने में सक्षम बनाती हैं।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास से हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को विभिन्न सामाजिक समस्याओं के माध्यम से जीवन निर्धारण में निर्णय लेने के लिए सुसज्जित और अनुमति देता हैं। सशक्तिकरण, एक उत्पाद के बजाय एक प्रक्रिया हैं अर्थात् महिला सशक्तिकरण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया हैं।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख मुद्दे–

- **यौन उत्पीड़न:** यौन उत्पीड़न वर्तमान समाज कि एक गम्भीर समस्या बन गई हैं । यह मानवता के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में से एक हैं । ऐसा कार्य जो यौन भावना के साथ किया गया हो और दूसरे के लिए अवांछित हो या व्यक्ति के लिंग और यौन अभिविन्यास से संबंधित हो यौन उत्पीड़न कहलाता हैं । यौन उत्पीड़न के अंतर्गत निम्न लिखित गतिविधिया शामिल हैं; बलात्कर, वैवाहिक बलात्कर, बच्चों के साथ यौन सम्पर्क बनाना तथा किसी की मर्जी के बिना उसे गलत तरीके से छूना आदि । दुनिया भर में यौन-उत्पीड़न के मामलों के आधार पर भारत

का चौथा स्थान हैं । यौन हिंसा से ग्रसित व्यक्ति को न्याय तक पहुँचने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं, जिसके अंतर्गत मामला छोड़ने के लिए समुदाय का दबाव, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का भेदभावपूर्ण रवैया, अपर्याप्त कानूनी सहायता और सजा दर को हतोत्साहित करना आदि शामिल हैं।

- **चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या:** भारत में कन्या भ्रूण हत्या चिंता का एक प्रमुख विषय हैं। यह भारत में वर्षों से चली आ रही सबसे आम प्रथा हैं जिसमें भ्रूण के लिंग निर्धारण और लिंग चयन के बाद मां के गर्भ में कन्या भ्रूण का गर्भपात किया जाता हैं। मध्यकाल में भारतीय परिस्थितियों के कारण अधिकतर नवजात कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी। साल 1991 में भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 927 महिला था, जो साल 2011 में 943 महिलाओं से 1000 पुरुषों तक हो गया। हालांकि, बाल लिंगानुपात, 1991 में प्रति हजार पुरुषों पर 945 महिलाओं से गिरकर 2011 में प्रति हजार पुरुषों पर 919 महिलाओं पर आ गया हैं, जो चिंताजनक हैं। नीति आयोग के अनुसार, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 2012-2014 में 906 से बढ़कर 2013-2015 में 900 हो गया हैं। चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के कई कारण चिन्हित किए गये हैं, जिसमें शामिल हैं; आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, लड़कों के लिए वैचारिक वरीयता, अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच तथा नैतिक और नैतिक मानदंडों का फिसलना आदि।
- **घरेलू हिंसा:** किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं। अर्थात् घरेलू हिंसा को पांच हिस्सों में विभाजित किया गया हैं: शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक हिंसा, दहेज सम्बंधी उत्पीड़न। महिलाओं के खिलाफ कई अपराध किये जाते है उनमे से घरेलू हिंसा का स्थान तीसरा (लगभग-33%) हैं ।
- **बाल विवाह:** भारत में प्रचलित बाल विवाह चिंता का विषय हैं। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता हैं, जिससे उन्हें हिंसा, शोषण और यौन शोषण का खतरा होता हैं। बाल विवाह का प्रभाव लड़कियों और लड़कों दोनों पर पड़ता हैं, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक होता हैं। बाल विवाह का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव होता हैं। भारत में हर साल लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती हैं, हालांकि साल 2005-2006 से 2015-2016 के दौरान 18 साल से पहले शादी करने

वाली लड़कियों की संख्या 47 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत रह गई हैं और जैसे- जैसे लड़कियों की शिक्षा स्तर में सुधार हो रहा हैं। यह दर साल दर साल कम हो रही हैं।

- **अनैतिक व्यापार:** अनैतिक व्यापार को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया यौन शोषण या दुर्व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों और औरतों की तस्करी सहित यौन-शोषण भी मानवता के खिलाफ अपराधों में से एक हैं। युवा लड़कियों और लड़कों को बंधक बनाना व कार्य करवाना, बेचना और उन्हें शोषण की स्थिति में डालना अनैतिक व्यापार में आता हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं की आयु, वर्ग या वेशभूषा पर ध्यान दिये बिना सड़कों पर, बसों एवं रेलगाड़ियों में सफर के दौरान या फिर कार्यस्थल पर, उन पर मौखिक व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ करना या जानबूझकर उनसे टकराना या अश्लील भाषा का प्रयोग करना आदि शामिल हैं। अनैतिक व्यापर में पीडित व्यक्ति को शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। फलस्वरूप अनैतिक व्यापार से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय तक चिंता, तनाव और शारीरिक समस्याओं से घिरा रहता हैं।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख चुनौतिया –

महिला सशक्तिकरण के सामने प्रमुख चुनौतिया निम्न लिखित हैं:- जैसे; निम्न साक्षरता, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, बेरोजगारी, उच्च मातृ मृत्यु दर, गरीबी आदि ।

- **निम्न साक्षरता:** साक्षरता किसी देश की मानव पूंजी गुणवत्ता के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार, "साक्षर" शब्द सात और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए आरक्षित हैं, जो किसी भी भाषा में स्पष्ट रूप से पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं।" आज़ादी के समय (1947) भारत की साक्षरता दर मात्र 12 प्रतिशत थी, जो अब (2011) बढ़ कर लगभग 74 प्रतिशत हो गयी हैं, इस सम्बंध में देश में एक बड़ा लैंगिक अंतर दिखाई देता हैं, जो जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत हैं और महिलाओं की 65.46 प्रतिशत ही हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, सभी राज्यों में पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक हैं। भारत की निरक्षरता देश के सामाजिक और आर्थिक विभाजन के जटिल नेटवर्क का परिणाम हैं, जो आर्थिक असमानताओं, लैंगिक भेदभाव, जातिगत पूर्वाग्रह और तकनीकी बाधाओं के कारण होती हैं।

- **महिलाओं के प्रति होने वाले आपराध**: भारतीय समाज में महिलाएँ एक लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। आज महिलाएँ एक तरफ सफलता के नए-नए आयाम गढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी ओर कई महिलाएँ जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता हैं- आपराधिक हिंसा जैसे- बलात्कार, अपहरण, हत्या, घरेलू हिंसा जैसे- दहेज संबंधी हिंसा, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवा और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक हिंसा जैसे पत्नी/पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिये बाध्य करना, महिलाओं से छेड़-छाड़, संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, पुत्र-वधू को और अधिक दहेज के लिये यातना देना, साइबर उत्पीड़न आदि। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 3.29 लाख मामले, साल 2016 में 3.38 लाख मामले, साल 2017 में 3.60 लाख मामले और साल 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किये गए। वहीं, साल 2021 में ये आँकड़ा बढ़कर 4,28,278 हो गया, जिनमें से अधिकतर यानी 31.8 फीसदी पति या रिश्तेदार द्वारा की गई हिंसा के, 7.40 फीसदी बलात्कार के, 17.66 फीसदी अपहरण के, 20.8 फीसदी महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से की गई हिंसा के मामले शामिल हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक मानसिकता, पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति एवं संसाधनों का असमान वितरण, लैंगिक जागरूकता का अभाव, कानूनों का कुशल कार्यान्वयन न होना, घरेलू हिंसा को संस्कृति का हिस्सा बना देना, लिंग भूमिकाओं से संबंधित रूढ़ियाँ आदि ।
- **बेरोजगारी :** जब एक व्यक्ति सक्रियता के साथ रोजगार की खोज करता हैं लेकिन वह काम पाने में असफल रहता हैं तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता हैं । सामान्य रूप से 15 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से क्रियाशील माना जाता हैं और यदि इस आयु वर्ग के व्यक्ति को लाभदायक रूप से नियोजित नहीं किया जाता हैं, तो इन्हे बेरोजगार माना जाता हैं । एन.एस.ओ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम बल सहभागिता दर में कमी का सिलसिला जारी है। उत्पादक आयु समूह (15 वर्ष से 59 वर्ष) के लिए महिला श्रम बल सहभागिता दर में 2011-12 से 2017-18 के बीच 7.8 प्रतिशत की कमी आयी थी और यह 33.1 प्रतिशत से घटकर 25.3 प्रतिशत रह गयी। हालांकि महिला श्रम बल सहभागिता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं। इस दर की गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा तीव्र और उच्च हुई हैं वर्ष 2011-12 के 37.8 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 26.6 प्रतिशत रही

और वहीं इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में यह दर 22.2 से बढ़कर 22.3 प्रतिशत रही, परन्तु कोविड काल के दौरान पुरुषों के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के कार्यबल में गिरावट दर्ज की गई।

- **उच्च मातृ मृत्यु दर:** किसी क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर उस क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक पैमाना हैं। प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु में शामिल किया जाता हैं। देश में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014-2016 में 130, वर्ष 2015-17 में 122, वर्ष 2016-18 में 113 और वर्ष 2017-19 में 103 में उत्तरोत्तर कमी देखी गई। भारत के मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की गिरावट आई हैं। यह वर्ष 2016-18 के 113 से घटकर वर्ष 2017-18 में 103 (8.8% गिरावट) हो गई हैं। मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण गंभीर रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था से संबंधित संक्रमण, असुरक्षित गर्भपात की वजह से जटिलताएँ तथा अंतर्निहित स्थितियाँ हैं, जो गर्भावस्था (जैसे HIV/एड्स और मलेरिया) में क्षति पहुँचा सकती हैं।
- **गरीबी:** गरीबी को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता हैं। गरीबी उन्मूलन उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, जितना निरक्षरता उन्मूलन। गरीबी की बजह से घरेलू सहायिकाओं के रूप में महिलाओं का शोषण होता हैं। गरीबी में रहने वाली लड़कियों सहित महिलाओं के विशेष समूह, भेदभाव के कई रूपों का सामना करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा के बढ़ते जोखिमों का सामना करते हैं। अध्ययनों से पता चलता हैं कि अमीर लड़कियों की तुलना में गरीब लड़कियों की बचपन में शादी करने की संभावना 2.5 गुना अधिक होती हैं। गरीबी में रहने वाली महिलाएं यौन- शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महिला महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के साथ-साथ मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चलाती हैं।

महिला सशक्तिकरण के चुनौतियों के लिये प्रमुख समाधान –

महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियो के समाधान हेतु आग्रलिखित सुझाव वर्णित हैं:

- महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधो पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए और इस दिशा में बनाए गए सभी कानूनो को सख्ती के साथ लागू करना चहिए, जिसके लिए न्याय की गति तीव्र एवं प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ।
- महिलाओं के समक्ष जो चुनौतियां व्याप्त हैं उससे निजात तभी पाया जा सकता हैं जब महिलाओं की गरीबी एवं बेरोजगारी पर नियंत्रण लाने के लिये सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर सक्षम बनाया जाए ।
- कन्या भ्रूण हत्या एवं चयनित गर्भपात को रोकने के लिए केवल कानून का लागू हो जाना पर्याप्त नही हैं बल्कि इसके लिए लड़कियों के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह को समाप्त करना होगा साथ ही सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा। इसके लिए आवश्यक हैं कि प्रसवपूर्व गर्भपात को रोकने के लिए संचार माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। माता-पिता की अशिक्षा, अज्ञानता एवं गरीबी इस समस्या को और भी बढ़ा देती हैं। जहाँ एक ओर उन्हें लड़कियों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी भी जानकारी नहीं होती हैं। अत: इस संबंध में उपाय किए जाने की आवश्यकता हैं।
- किसी क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर उस क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक पैमाना हैं। भारत को उच्च एमएमआर वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। प्रत्येक नवजात की मृत्यु का समुदाय आधारित ऑडिट, संस्था आधारित ऑडिट तथा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ऑडिट किया जाए। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गर्भावस्था का पंजीयन में विलंब न हो। जन्म के प्रथम एक घंटे में शिशु को माँ का दूध पिलाने की समझाइश दी जाए।
- महिलाओं के उच्च शिक्षण संस्थाओ का विकास करना चाहिए और रोजगार परक शिक्षा की वरीयता देना चाहिए
- महिला उद्यमो के विकास हेतु रियायती दर पर वित्त की सुविधा सुनिश्चित करना और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु विकसित कानूनो को अमल में लाना चाहिए तथा विकास कार्यो में महिलाओं की भागीदारी को वरीयता सुनिश्चित करना चाहिए ।
- महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन-ई पर अधिकाधिक जोर दिए जाने की जरूरत हैः

- लड़कों को लैंगिक समानता की शिक्षा देना आवश्यक है
- लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाना आवश्यक है
- क़ानूनों का सख्ती से और प्रभावी तारीके से पालन किया जाना चाहिए

➢ भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निजात पाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, अर्थात् अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी हिंसा से निजात नही पाया जा सकता हैं । इस बुराई को कम करने या मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को व्यापक सूचना शिक्षा-संचार के जरिए रोकने पर विचार किया जा सकता हैं, तथा सरकार प्रत्येक चिह्नित शहर में ऐसे स्थानों की पहचान करे जहां अपराध ज्यादा होते हैं और इन स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं।

➢ प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना उस ऑफ़िस के मालिक का कर्तव्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक दिशा-निर्देश के अनुसार यह भी जरूरी हैं कि समिति का नेतृत्व एक महिला करे और सदस्यों के तौर पर उसमें पचास फीसदी महिलाएं ही शामिल किया जाए। साथ ही, समिति के सदस्यों में से एक महिला कल्याण समूह के सदस्य को अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए चाहे वह स्थायी सदस्य हैं या न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. बी.एस. भाटिया (1975) - "औद्योगिक उद्यमी: उनकी उत्पत्ति और समस्याएं", जनरल मैनेजमेंट जर्नल, वॉल्यूम II, जनवरी 1975, पी। 33.
2. उषा राव, एन.जे. (1983) - "एक विकासशील समाज में महिलाएं", आशीष प्रकाशन, नई दिल्ली, पी। 180.
3. अल्फोंसा, एम.जे. (1984) - "केरल में शिक्षित बेरोजगारी", एक अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, अर्थशास्त्र विभाग।
4. रानी, सी. (1986) - "संभावित महिला उद्यमी- एक अध्ययन", SEDME 13 (3), पी। 13-32।
5. चंद्रा, शांति कोहली (1991) - "भारत में महिला उद्यमिता का विकास", मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली, पी। 70.
6. इवनिस, बी. लिली ग्रेस (2011) - "ग्रामीण भारत में महिला उद्यमी - चुनौतियाँ और अवसर", स्वयं सहायता समूहों और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, अध्याय 8, एसोसिएटेड पब्लिशर्स।
7. चड्डा, ए. (2016)- "एन आउटलाइन ऑफ सस्टेनेबल एजुकेशन इन इंडिया" योजना पत्रिका, जनवरी 2016।
8. रामचंद्रन, वी. (2016) - "महिला और बाल शिक्षा: भारतीय अवलोकन", योजना पत्रिका, जनवरी 2016।

9. त्रिपाठी, ए. (2017)- "एजुकेशनल सर्विसेज एंड लेवल ऑफ लिटरेसी ऑफ बस्तीनगर", श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, वॉल्यूम। 5, नंबर 2, अक्टूबर 2017
10. भौमिक, कृष्णानाथ (2005) - "त्रिपुरा में जनजातीय महिलाओं के अधिकारिता की स्थिति", नई दिल्ली, ईस्टर्न बुक कॉर्पोरेशन, पी। 217.
11. चौधरी, राजेंदर (2005) - "लिज्जत और महिला अधिकारिता - स्पष्ट से परे", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 40 (6) पी। 579-583।
12. मोनिका, तुशीर और सुमिता चड्डा (2007) - "एसएचजी के माध्यम से हरियाणा में महिला परिवारों की आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए सूक्ष्म वित्त की भूमिका", सदर्न इकोनॉमिस्ट, वॉल्यूम में प्रकाशित। 46, नंबर 7, अगस्त, 2007, पी। 29.
13. अहमद, जमील (2008) - "लैंगिक असमानता और महिला अधिकारिता - एक समीक्षा", महिला अधिकारिता अध्याय 10 के नए आयामों में, पी। 129-137, दीप और दीप प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. रेमेंन, एलन, पोस्टमॉर्टम एंड सोशल रिसर्च, ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस, बांकीघम, 2002
15. बर्न्स, रॉबर्ट बी., इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेंथड्स, सेज प्रकाशन, लंदन (चौथा संस्करण) 2000
16. ए.आर. देसाई और ए. मोहिउद्दीन, कृषि में महिलाओं को शामिल करना - मुद्दे और रणनीतियाँ, इंडिया जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, 11(5) (1992), 506-648।
17. तेजस्विनी और एस. वीरभद्रैया, डवाकरा पर ग्रामीण महिलाओं का ज्ञान मूल्यांकन और उनकी समस्याएं, कुरुक्षेत्र, 51(4) (1996), 46-47